



प्र० २६
(नियम ४क देखिए)

२६- बी० ए० ई० ई० ८८० रानीपुर।

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

उत्तरारोड़ विधानसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, श्रीमति पंकज गुप्ता पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ललिता, जीवीपीयौष्ठकलेक्षणालय, लालगढ़ी पो०
आयु ४१ वर्ष, जो जीवीपीयौष्ठकलेक्षणालय, लालगढ़ी पो०
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता लालगढ़ी
हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन क्रस्ता हूँ/करती हूँ:-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लालगढ़ी
(ii) पुलिस थाना (थाने) लालगढ़ी जिला (जिले) लालगढ़ी राज्य लालगढ़ी

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) राजीव सिंह (धारा०) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है.....

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आशेपो) की विचाना की गई लालगढ़ी

(v) तारीख (तारीखे) जिनको आरोप विरचित किया गये थे लालगढ़ी

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं लालगढ़ी

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा ८ की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

राजीव सिंह

राजीव सिंह

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है लागू नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले)
राज्य लागू नहीं

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है लागू नहीं

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे लागू नहीं

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं
लागू नहीं

स्थान दोअनांशक
तारीख 11/11/12



Jamby (गुरुवे)
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वर्त्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्प्रिक बात छिपायी नहीं गयी है।

दोअनांशक स्थान पर आज तारीख 11/11/12 को सत्यापित किया।
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रूफ के बै स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिये जायें।

RISHI PAL SINGH
ADVOCATE, NOTARY
Reg. No. 39 (05) (05)

ATTESTED

ATTESTED
RISHI PAL SINGH
ADVOCATE, NOTARY
Reg. No. 39 (06) (05)
11/11/12



उत्तराखण्ड

UTTARAKHAND



206

111112

13AA 371856

29 DEC 2020

हारटार

Janki Gupta

Janki Gupta